न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 31/2022

श्रीमती प्रेम पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी महेसरा कलां तहसील व जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि गिर्राज जाति गुर्जर निवासी महेसरा कलां तहसील व जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2021 बाबत भूमि विभाजन सहमति अंर्तगत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. रेस्पों0 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 28.07.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.10.2021 को ग्राम महेसरा कलां का आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन कर दिया। इसी भूमि विभाजन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 विधि प्रक्रिया, नियम तथ्य एवं न्याय कि सिद्धान्तों के विपरीत है।अपीलांट व रेस्पों. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1187 रकबा 0.22है. वाके ग्राम महेसरा कलां तहसील दौसा का सहमति से विभाजन करवाने हेतु पक्षकारान ने तहसीलदार दौसा के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचातय मुख्यालय महेसरा कलां में किया था। पटवारी हल्का ने पक्षकरागण की निशानी करवाकर आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार दौसा ने पक्षकारों की स्वीकारोक्ति दर्ज कर प्रश्नगत आदेश पारित फरमा दिया। तहसीलदार दौसा ने पक्षकारान को बिना समझाये आदेश पारित फरमा दिया जो न्यायोचित नहीं है। विभाजन योजना में पटवारी हल्का ने भूमि पर विद्यमान कूप का प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया। भूमि विभाजन खसरा नंबर 1187 में उत्तर दक्षिण के बीच में रेखांकित कर दिया। पक्षकारगण का शामलाती कूप उत्तर पूर्व के कोने पर स्थित है। वह विभाजन योजना व आदेशानुसार रेस्पों. के हिस्से में विभाजित कर दिया जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भूमि खसरा नंबर 1187 पर स्थित कूप अपीलांट व रेस्पों0 का शामलाती है। कूप का विभाजन नहीं हो सकता है। कूप को पक्षकारगण की शामलाती खातेदारी में अंकित करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। विभाजन आदेश संशोधनीय है। अपीलांट को उक्त तथ्य की जानकारी मौके पर विभाजन के अनुसार कूप रेस्पों. की खातेदारी में अंकित होने की जानकारी दिनांक 10.11.2022 को होने पर तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त की। योम जानकारी से अपील समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2022 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पों0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पों0 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1187 रकबा 0.22है. वाके ग्राम महेसरा कलां का सहमति से विभाजन कररवाने हेतु तहसीलदार दौसा के समक्ष प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर ग्राम

निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत मुख्यालय महेसरा कलां में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 29.10.2021 को जो विभाजन किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। उक्त तकास्मा आदेश को निरस्त फरमा दिया जावे एवं प्रकरण सही एवं विधिपूर्ण विभाजन हेतु अधीनस्थ तहसीलदार महोदय दौसा को रिमाण्ड फरमा दिये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं रेस्पों0 के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट एवं रेस्पों. द्वारा तहसीलदार दौसा के समक्ष प्रशसन गांव के संग अभियान कैंप महेसरा कलां में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम महेसरा कलां स्थित आराजी खसरा नंबर 1187 रकबा 0.22है. भूमि का विभाजन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 29.10.2021 को उक्त भूमि का विभाजन आदेश पारित किया। उक्त भूमि के आपसी सहमति से विभाजन आदेश में अपीलांट व रेस्पों. का शामलाती कूप रेस्पों0 के हिस्से में आ गया जिससे दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हो गयी। अब दोनों पक्षों में उक्त भूमि विभाजन आदेश को निरस्त कराने हेतु सहमति हो गयी है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन भूमि विभाजन आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 28 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा